न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 05 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट

1. गोमाराम पुत्र जुगताराम जातियान जाट निवासी उंचावड़ा, काश्मीर तहसील शिव जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.शेराराम पुत्र जेठाराम के वारिस

1 / 1रामाराम पुत्र शेराराम

1 / 2हुकमाराम पुत्र शेराराम

1 / 3लिखमाराम पुत्र शेराराम

1 / 4ओम प्रकाश पुत्र शेराराम

उतरदाता संख्या1 / 1 से 1 / 4

नाबालिग जरिये कु0 वलिया माता

उतरदाता संख्या 1 / 5 श्रीमती सारो देवी पत्नी शेराराम

1 / 5सारोदेवी पत्नी शेराराम उम्र 55 वर्ष जाति जाट निवासी उंचावड़ा, काश्मीर तहसील शिव जिला बाड़मेर।

2.बांकाराम पुत्र जुगताराम

3.खेताराम पुत्र किरताराम जाति जाट जाट निवासी उचावडा तहसील शिव जिला बाड़मेर

4.शाखा प्रबंधक बी.सी.सी.बी. शाखा शिव

5.प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा उण्डू

6.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिव

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 12 / 2017 बअनवान शेराराम के कायम मुकाम बनाम गोमाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 23. 11.2021 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री बांकाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बालाराम चौधरी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के का.मु. की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 05.04.2022

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंटस संख्या 01 के कायम मुकाम ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 251 ए की उपधारा 01 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक आवेदन पेश कर अपने भतीजों को बतौर प्रतिवादी बनाकर संयुक्त खातेदारी खेत खसरा संख्या 490/44 जो मूल खसरा संख्या 44 रकबा 53.11 बीघा प्रार्थी के खेत एवं सड़क के मध्य पड़ता है। प्रार्थीगण को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थी के उक्त खेत में से चलने वाली कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। बरसात के मौसम में विप्रार्थी अपनी अन्य भूमि के साथ साथ रास्ते की भूमि पर भी काश्त कर लेते है जिससे प्रार्थीगण का आवागमन अवरूद्ध हो जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत आवेदन को दर्ज कर विप्रार्थी/अपीलांट को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थी के आवेदन का खण्डन करते हुए जवाव पेश किया गया। उतरदातागण द्वारा प्रस्तावित रास्ता की जमीन मौके पर खाली नहीं है तथा मौका रिपोर्ट पर भी आपति उठाते हुए एकपक्षीय मौका रिपोर्ट को निरसत कर पुन नये सिरे से मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु आवेदन पेश किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद अपीलांटगण के तथ्यों को अनदेखा करते हुए दिनांक 04.05.2019 को निर्णय पारित किया गया जिस पर अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय में अपील पेश की गई जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.04.2020 को प्रकरण को पुनः दर्ज किया गया। अपीलांट की अनुपस्थिति में पुनःमौका रिपोर्ट मंगवाई गई जो पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया परन्तु अपीलांट की आपति में पुनः मैका रिपोर्ट तलब नहीं की गई तथा पवली लोक अदालत के कैम्प कोर्ट शिवाजी नगर में रखी गई जिस बाबात अपीलांट को समुचित अवसर दिये व माननीय न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना करते हुए अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलकर्ता की आराजी का बिना समुचित वस्तुस्थिति का पता किये पारित किया है, रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि पर कभी कोई मार्ग नहीं था तथा उतरदातागण को अपनी जोत में आने जाने हेतु रास्ता का अन्य विकल्प मौजूद

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

है जिसको उतरदाता अपनी जोत में आने जाने हेतु उपयोग में लेता है। हस्तगत प्रकरण को लेकर अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय में अपील पेश की गई जो स्वीकार होकर प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया लेकिन अपीलीय न्यायालय के आदेशों की पालना मातहत अदालत द्वारा नहीं की गई। न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध माननीय मण्डल में निगरानी संख्या 2020/993 विचाराधीन है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को मंगवा रखा था लेकिन मातहत अदालत ने माननीय मण्डल में अभिलेख को नहीं भिजवाकर अंतिम निर्णय पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका फर्द को आधार बनाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है अपीलांट की अनुपस्थित में तैयार की गई। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपति पेश की गई जिसकों अनदेखा कर अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश कैम्प कोर्ट में पारित किया गया जबकि पत्रावली को कैम्प कोर्ट में सुनवाई हेतु नियत करने की सूचना अपीलांट को नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि मौजा उंचावड़ा पटवार क्षेत्र काश्मीर तहसील शिव खसरा संख्या 490/44 में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अक्षरस पालना करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पारित किया गया। मौका फर्द

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

दिनांक 03.12.2020 एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 29.09.2021 में स्पष्ट किया गया है कि मौके पर खसरा नं. 489/44 व 44 की कदीमी माठ का नाप किया जाकर निशान किये हुए पाये गये। उसके अनुसार माठ पर जो पेड़ है वे खसरा नं. 489/44 में आये हुए है वे पेड़ माठ पर होने के कारण ही मार्ग एक साईड खसरा नं. 44 में प्रस्तावित किया गया है। खसरा नं. 490/44 तक जाने हेतु एक मात्र विकल्प है इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। यह प्रस्तावित मार्ग लघुतम व सुगम है। संलग्न नक्शे दर्शित बिन्दु ए से बी रास्ता ही निकटतम दूरी का रास्ता है। अपीलांट द्वारा ऐतराज पर ऐतराज पेश किया जा रहा है जिससे अपीलांट की रास्ता नहीं देने की नीयत साफ झलकती है। वह प्रस्तावित रास्ते में अवरोध पैदा करने की कार्यवाही में लिप्त है। अपीलांट की गैर कानूनी मांग स्वीकार्य नहीं हैं। रेस्पोडेंट/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांट की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थी को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना कतई न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 12/2017 बअनवान शेराराम के कायम मुकाम बनाम गोमाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 23.11.2021 को यथावत रखा जाता है।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 05.04.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी